पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, वादी का साक्ष्य शपथ-पत्र, दस्तावेजात इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान पर गौर कर मनन किया। सरहद मौजा- निमाज-1, पटवार हल्का- निमाज-1, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निमाज तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज0 मे कृषि भूमि खसरा नम्बर- 1084 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर- 1083 रकबा 09 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर- 1086 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल की जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, उक्त खसरान की भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 13 के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंट्वाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंट्वाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई सरहद मौजा- निमाज-1, पटवार हल्का- निमाज-1, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निमाज तहसील जैतारण जिला ब्यावर के खसरा नम्बर- 1084 रकबा 05-01 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर- 1083 रकबा 09 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर- 1086 रकबा 14-11 बीघा किस्म बारानी अव्वल में वादी के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंट्वाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावे व मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावे। तहसीलदार जैतारण को बंट्वाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर न्यायालय हाजा के पत्रांक/कोर्ट/2025/909 दिनांक 24/09/2025 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, आ0कालू ने अपने क्रमांक/भू0अ0/25/5378 दिनांक 03/11/2025 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंट्वाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी की सुनी गई। बहस के दौरान उभयपक्षअधिवक्ता ने माफिक बंट्वाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंट्वाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंट्वाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंट्वाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँट्वाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा- निमाज-1, पटवार हल्का- निमाज-1, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र- निमाज तहसील- जैतारण, जिला- ब्यावर, राजस्थान में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की आराजी खसरा नम्बर- 1084 रकबा 05-01 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर- 1083 रकबा 09 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर- 1086 रकबा 14-11 बीघा किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 13 के हक हिस्से की भूमि का बँट्वाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं:-

4.11.2025

(मनोज कुमार मीणा RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	1. कैलाश पुत्र बंशीलाल हि. 1/4 जाति चौकीदार सा.देह खेड़ादेवगढ़ खातेदार 2. खेताराम पुत्र बंशीलाल हि. 1/4 जाति चौकीदार सा.देह खेड़ादेवगढ़ खातेदार 3. बुधाराम पुत्र बंशीलाल हि. 1/4 जाति चौकीदार सा.देह खेड़ादेवगढ़ खातेदार 4. नर्बदा पत्नी बंशीलाल हि. 1/4 जाति चौकीदार सा.देह खेड़ादेवगढ़ खातेदार	1083	0.0348	बा.अ.	0.080
		1084	0.3612	बा.अ.	0.790
		1086/2	0.4154	बा.अ.	1.00
		03	**0.8114**		
2.	ओगड़राम पुत्र दलाराम जाति मेघवाल सा. पिचियाक, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर खातेदार	1083/4	0.0001	बा.अ.	---
		1084/2	0.1721	बा.अ.	---
		02	**0.1722**		
3.	कमलकिशोर पुत्र बाबुलाल जाति रेगर सा. खेड़ादेवगढ़ खातेदार	1083/3	0.0280	बा.अ.	0.04
		1084/2	0.2425	बा.अ.	0.53
		2	**0.2705**		**0.57**
4.	1. कालूराम पुत्र तेजाराम जाति- चौकीदार सा. खेड़ादेवगढ़ खातेदार हि. 1130/19915 2. गुलाबीदेवी पुत्री भाणिया जाति- चौकीदार सा. खेड़ादेवगढ़ खातेदार हि. 1209/19915 3. तुलसीदेवी पुत्री भाणिया जाति- चौकीदार सा. खेड़ादेवगढ़ खातेदार हि. 1209/19915 4. पपूड़ी पुत्री तेजाराम जाति- चौकीदार सा. खेड़ादेवगढ़ खातेदार हि. 1129/19915 5. पेमी पुत्री तेजाराम जाति- चौकीदार सा. खेड़ादेवगढ़ खातेदार हि. 1130/19915 6. महेन्द्र पुत्र तेजाराम जाति- चौकीदार सा. खेड़ादेवगढ़ खातेदार हि. 1610/19915 7. राकेश पुत्र तेजाराम जाति- चौकीदार सा. खेड़ादेवगढ़ खातेदार हि. 1610/19915 8. राजूराम पुत्र तेजाराम जाति- चौकीदार सा. खेड़ादेवगढ़ खातेदार हि. 1610/19915 9. राहुल पुत्र तेजाराम जाति- चौकीदार सा. खेड़ादेवगढ़ खातेदार हि. 1610/19915 10.विनोद पुत्र तेजाराम जाति- चौकीदार सा. खेड़ादेवगढ़ खातेदार हि. 1130/19915 11.लक्ष्मी पत्नी तेजाराम जाति- चौकीदार सा. खेड़ादेवगढ़ खातेदार हि. 1130/19915 12.सोहनलाल पुत्र मोहनलाल जाति- चौकीदार सा. खेड़ादेवगढ़ खातेदार हि. 2704/19915 13.शारदा पुत्री मोहनलाल जाति- चौकीदार सा. खेड़ादेवगढ़ खातेदार हि. 2704/19915	1083/2	0.2138	बा.अ.	--
		1084/1	0.2138	बा.अ.	---
		1086/3	0.3171	बा.अ.	---
		1086	1.4507	बा.अ.	2.79
		04	**1.9915**		**2.79**

4.11.2025

(मनोज कुमार मीणा RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंट्वाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक **04/11/2025** को सर-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री मनोज कुमार मीणा, आर०ए०एस०

-:: वादीगण :-

1. कैलाश पुत्र बंशीलाल
2. बुधाराम पुत्र बंशीलाल
3. खेताराम पुत्र बंशीलाल

नर्बदा पत्नि बंशीलाल
जातियान- बावरी, निवासी- खेड़ा देवगढ, तहसील- जैतारण जिला-ब्यावर राज.।

बनाम

-:: प्रतिवादीगण :-

1. सोहनलाल पुत्र मोहनलाल जाति- बावरी
2. कमलकिशोर पुत्र बाबुलाल जाति रेगर
3. तुलसीदेवी पुत्री भाणीया
4. राजूराम पुत्र तेजाराम
5. राहूल पुत्र तेजाराम
6. महेन्द्र पुत्र तेजाराम
7. राकेश पुत्र तेजाराम
8. कालूराम पुत्र तेजाराम
9. विनोद पुत्र तेजाराम
10. पपूड़ी पुत्री तेजाराम
11. पेमी पुत्री तेजाराम
12. लक्ष्मी पत्नी तेजाराम जातियान- चौकीदार निवासी खेड़ा देवगढ, तहसील जैतारण
13. ओगड़राम पुत्र दलाराम जाति मेद्यवाल निवासी पिचियाक तहसील बिलाड़ा, जिला- जोधपुर।

तहसीलदार जैतारण तहसील कार्यालय जैतारण।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 30/2021
निर्णय व डिक्री दिनांक :-04.11.2025

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू .... व हाजरी श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई, व श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं. 13 मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँट्वाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा- निमाज-1, पट्वार हल्का- निमाज-1, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र- निमाज तहसील- जैतारण, जिला- ब्यावर, राजस्थान में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की आराजी खसरा नम्बर- 1084 रकबा 05-01 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर- 1083 रकबा 09 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर- 1086 रकबा 14-11 बीघा किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 13 के हक हिस्से की भूमि का बँट्वाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	1. कैलाश पुत्र बंशीलाल हि. 1/4 जाति चौकीदार सा.देह खेड़ादेवगढ़ खातेदार	1083	0.0348	बा.अ.	0.080
	2. खेताराम पुत्र बंशीलाल हि. 1/4 जाति	1084	0.3612	बा.अ.	0.790

(मनोज कुमार मीणा RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

	चौकीदार सा.देह खेड़ादेवगढ़ खातेदार 3. बुधाराम पुत्र बंशीलाल हि. 1/4 जाति चौकीदार सा.देह खेड़ादेवगढ़ खातेदार 4. नर्बदा पत्नी बंशीलाल हि. 1/4 जाति चौकीदार सा.देह खेड़ादेवगढ़ खातेदार	1086/2	0.4154	बा.अ.	1.00
		03	**0.8114**		
2.	ओगड़राम पुत्र दलाराम जाति मेघवाल सा. पिचियाक, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर खातेदार	1083/4	0.0001	बा.अ.	---
		1084/2	0.1721	बा.अ.	---
		02	**0.1722**		
3.	कमलकिशोर पुत्र बाबुलाल जाति रेगर सा. खेड़ादेवगढ़ खातेदार	1083/3	0.0280	बा.अ.	0.04
		1084/2	0.2425	बा.अ.	0.53
		2	**0.2705**		**0.57**
4.	14. कालूराम पुत्र तेजाराम जाति- चौकीदार सा. खेड़ादेवगढ़ खातेदार हि. 1130/19915 15. गुलाबीदेवी पुत्री भाणिया जाति- चौकीदार सा. खेड़ादेवगढ़ खातेदार हि. 1209/19915 16. तुलसीदेवी पुत्री भाणिया जाति- चौकीदार सा. खेड़ादेवगढ़ खातेदार हि. 1209/19915 17. पपूड़ी पुत्री तेजाराम जाति- चौकीदार सा. खेड़ादेवगढ़ खातेदार हि. 1129/19915 18. पेमी पुत्री तेजाराम जाति- चौकीदार सा. खेड़ादेवगढ़ खातेदार हि. 1130/19915 19. महेन्द्र पुत्र तेजाराम जाति- चौकीदार सा. खेड़ादेवगढ़ खातेदार हि. 1610/19915 20. राकेश पुत्र तेजाराम जाति- चौकीदार सा. खेड़ादेवगढ़ खातेदार हि. 1610/19915 21. राजूराम पुत्र तेजाराम जाति- चौकीदार सा. खेड़ादेवगढ़ खातेदार हि.1610/19915 22. राहुल पुत्र तेजाराम जाति- चौकीदार सा. खेड़ादेवगढ़ खातेदार हि. 1610/19915 23.विनोद पुत्र तेजाराम जाति- चौकीदार सा. खेड़ादेवगढ़ खातेदार हि. 1130/19915 24.लक्ष्मी पत्नी तेजाराम जाति- चौकीदार सा. खेड़ादेवगढ़ खातेदार हि. 1130/19915 25.सोहनलाल पुत्र मोहनलाल जाति- चौकीदार सा. खेड़ादेवगढ़ खातेदार हि. 2704/19915 26.शारदा पुत्री मोहनलाल जाति- चौकीदार सा. खेड़ादेवगढ़ खातेदार हि. 2704/19915	1083/2	0.2138	बा.अ.	---
		1084/1	0.2138	बा.अ.	---
		1086/3	0.3171	बा.अ.	---
		1086	1.4507	बा.अ.	2.79
		04	**1.9915**		**2.79**

4.11.25

(मनोज कुमार मीणा RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 04.11.2025 को जारी किया गया ।

मोहर

(मनोज कुमार मीणा RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला-ब्यावर)
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	05-00	स्टाम्प वकालतनामा	02-00
स्टाम्प वकालतनामा	05-00	स्टाम्प अर्जी	01-00
स्टाम्प वजह सबूत	-	महनताना वकील	
महनताना वकील	-	खर्चा गवाहान	/
खर्चा गवाहान	09-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	-	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	-	मुत्फरिक	
मिजानः-	19-00	मिजानः-	03-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।